संख्या- ए. 20011/04 (क)/2021- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक: 21 फरवरी, 2022

परिपत्र

विषय: कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2021 की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई और भारत सरकार की राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जनवरी 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए. 2011/4/2020-हिंदी के अंतर्गत समिति के सभी सदस्यों एवं अनुभागों को परिचालित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यवृत्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कार्यवृत्त की प्रति निदेशालय की वेबसाइट के प्रशासन खंड के परिपत्र उप-खंड में भी अपलोड है। उक्त कार्यवृत्त के मदों पर निदेशालय मुख्यालय के सभी अनुभागों और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है:-

1. सभी अनुभाग/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे।
2. सभी केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशाला का आयोजन पूर्ववत् सूचना के अनुसार ही किया जाए और इसकी सूचना निदेशालय के हिंदी अनुभाग को दी जाए।
3. सभी अनुभाग/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान तिमाही का हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी पिछली तिमाही की तुलना में कम न हो।
4. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर निश्चित रूप से हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात निश्चित रूप से द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी में) में ही जारी किए जाएंगे। इन कागजातों में संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिनियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के समक्ष प्रस्तुत कागजात, लाइसेंस, परमिट, संविदा,करार, नोटिस तथा निविदा शामिल हैं।
6. जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. सभी संबंधित यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अनुभाग/कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली रबड़ की मुहरें द्विभाषी हैं, और फाइलों व रजिस्टरों पर शीर्षक द्विभाषी लिखे गए हैं।

यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अनुपालन में जारी किया गया है।

21.02.2022
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

क्रमश:/-2

प्रतिलिपि

1. निदेशक के प्रधान वैयक्तिक सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. सभी संयुक्त निदेशक
3. सभी अनुभाग अधिकारी।
4. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी गांव, नई दिल्ली ।
5. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
6. स.नि. (सूचना प्रोद्योगिकी) -विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक को सूचित करने हेतु ।
7. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक- विभाग के सरकारी वेबसाइट के माध्यम से।
8. कार्यालय प्रति ।